"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2011—चैत्र 9, शक 1933

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2011

### आदेश

क्र. 2173/725/21-ब/छ.ग./2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) सहपठित अनुच्छेद 233 एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 12 एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा विभागीय जांच के आधार पर की गई अनुशंसा पर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (सात) में प्रावधानित दण्ड, अनिवार्य सेवानिवृत्ति से दण्डित करते हुए श्री एल.आर.ठाकुर, सदस्य उच्च न्यायिक सेवा को इस आदेश के निर्वाह तिथि से, नियमानुसार पूर्ण पेंशन सहित, अनिवार्य सेवा-निवृत्त करते हैं.

Raipur, the 22nd March 2011

### ORDER

No. 2173/725/XXI-B/C.G./2011.—In exercise of the powers conferred by Article 311 (2) read with Article 233 of the Constitution of India and Rule 12 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2006 and on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh on the basis of departmental enquiry, Governor of Chhattisgarh hereby imposes penalty of compulsory retirement on Shri L. R. Thakur, Member of Higher Judicial Service as provided under Rule 10 (vii) of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and retires him compulsorily, with full pension as per rules, from the date of service of this order.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. एस. शर्मा**, प्रमुख सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.